सं.ए-45011/2/2019-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

नई दिल्ली, दिनांक: 22 अप्रैल, 2019

कार्यालय ज्ञापन

मुझे आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित मार्च, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

(के. राजारामन)
अपर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23093230/5012

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
5. प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. मत्रिमंडल सचिव के निजी सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
   सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, वित्त राज्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी।
10. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
11. अपर सचिव (श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
12. अपर सचिव (एफबी एंड एडीबी), आर्थिक कार्य विभाग।
13. डा. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।
14. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
15. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
    संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (सीएंडसी/यूएनएंडओएमआई)/संयुक्त सचिव (आईपीएफ)/संयुक्त सचिव (एफएम)/सलाहकार (आईईआर)/ संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त)/सीएएए।
16. सुश्री राजश्री रे, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
17. डा. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल), आर्थिक कार्य विभाग।
18. श्री अरूण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
19. गार्ड फाइल - 2019

सं. ए.-45011/2/2019-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

विषयः **मार्च, 2019 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।**

1. **वृहत-आर्थिक सिंहावलोकन**

1.1 *उपभोक्ता मूल्य सूचकांक* (नई श्रृंखला-संयुक्त) *पर आधारित हैडलाइन मुद्रास्फीति* फरवरी, 2018 में 4.4% की तुलना में फरवरी, 2019 में 2.6% थी। *थोक मूल्य सूचकांक* (*डब्ल्यूपीआई*) *पर आधारित मुद्रास्फीति* फरवरी, 2018 में 2.7% की तुलना में फरवरी, 2019 में 2.9% रहीं।

1.2 *10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल* दिनांक 23 मार्च, 2018 के 7.59% की तुलना में 22 मार्च, 2019 को 7.33% रहा।

1.3 *भारत का विदेशी मुद्रा भंडार* मार्च, 2018 के अंत के 424.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर से 17.8 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट दर्शाते हुए 22 मार्च, 2019 की स्थिति अनुसार 406.7 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। फरवरी, 2019 में 71.22 रुपये प्रति अमरीकी डॉलर की तुलना में *रुपए का औसत मासिक विनिमय दर* (संदर्भ दर) मार्च, 2019 माह में 69.48 रुपए प्रति अमरीकी डॉलर रही।

1.4 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (वर्ष 2011-12 की नई श्रृंखला पर आधारित) द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, *औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)* में जनवरी, 2018 में 7.5% की बढ़त की तुलना में जनवरी, 2019 में 1.7% की बढ़त दर्ज की गयी।

1.5 अप्रैल-जनवरी, 2017-18 के दौरान 4.1 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में अप्रैल-जनवरी, 2018-19 की अवधि में संचयी आधार पर, औद्योगिक बढ़त 4.4 प्रतिशत रही। *आठ मुख्य उद्योगों* में फरवरी, 2018 में 5.4 प्रतिशत की तुलना में फरवरी, 2019 में 2.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। *मुख्य उद्योगों की बढ़त* अप्रैल-फरवरी, 2017-18 के दौरान 4.3 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-फरवरी, 2018-19 के दौरान 4.3 प्रतिशत रही।

1.6 भारत का *व्यापारिक माल निर्यात* फरवरी, 2018 के दौरान 26.0 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में 2.4% की बढ़त दर्शाते हुए फरवरी, 2019 के दौरान 26.7 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। भारत का *आयात* फरवरी, 2018 में 38.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के आयात मूल्य के स्तर की तुलना में 5.4 प्रतिशत गिरकर फरवरी, 2019 के दौरान 36.3 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया।

1.7 भारत का *तेल आयात* फरवरी, 2019 के दौरान 9.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा जो कि फरवरी, 2018 में 10.2 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 8.1 प्रतिशत कम था। *व्यापार घाटा* फरवरी, 2018 के दौरान 12.3 बिलियन अमरीकी डॉलर के घाटे की तुलना में फरवरी, 2019 में 9.6 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित था। जनवरी, 2019 के दौरान सेवाओं का निर्यात और आयात 17.7 बिलियन अमरीकी डॉलर और 11.0 बिलियन अमरीकी डालर रहा। सेवाओं में व्यापार शेष जनवरी, 2019 में 6.7 बिलियन अमरीकी डॉलर अनुमानित था।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1 (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सरकार के परामर्श से *नवोन्मेषकर्ता विकास मंच* (*आईजीपी*) के प्रयोजनार्थ निवेशकों के प्रत्यायन की प्रक्रिया संबंधित एक रूपरेखा का अनुमोदन किया है। सेबी बोर्ड ने बड़े स्तर पर निवेशक भागीदारी को बढ़ावा देने, लिक्विडिटी को बढ़ावा देने और वित्तीय बाजारों के इस खंड में बढ़त लाने के उद्देश्य से न्यूनतम आबंटन और व्यापार लॉट में कमी, लाभ सीमा में वृद्धि के संदर्भ में *सेबी (अवसंरचना निवेश न्यास)*, *विनियम* 2014 और *सेबी* (*रियल इस्टेट निवेश न्यास*) विनियम, 2014 में संशोधन का भी अनुमोदन कर दिया है। सेबी बोर्ड ने दिनांक 1.03.2019 को कुछ सुरक्षोपायों के अध्यधीन भारत में एक्सजेंज कारोबारित वस्तु व्युत्पन्नों में म्यूचुअल फंडों और पोर्टफोलियो प्रबंधकों को भागीदारी में समर्थ बनाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इसके अतिरिक्त, श्रेणी-III वैकल्पिक निवेश निधियां, जिन्हें वस्तु व्युत्पन्नों में भागीदारी करने की पहले ही अनुमति दे दी गई है, को अब ऐसी संविदाओं, यदि कोई हों, के वास्तविक समाधान के एवज में प्राप्त वस्तु का मोल-भाव करने की अनुमति दी गई है। ऋणपत्र धारकों के हितों को सुरक्षित करने और ऋणपत्र न्यासियों (डीटी) द्वारा अपनी सेवाएं प्रभावशाली और तेजी से देने में समर्थ बनाने के लिए, सेबी बोर्ड ने ऋणपत्र न्यासियों की न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता, ऋणपत्र न्यासियों की बैठक आदि के संबंध में ऋणपत्र न्यासियों से संबंधित विनियामक रूपरेखा में कुछ संशोधनों का अनुमोदन कर दिया है। कस्टोडियन को अपना कार्य करने में सुगमता देने हेतु सेबी बोर्ड ने कस्टोडियन के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में आवधिक नवीकरण के स्थान पर स्थायी पंजीकरण की सुविधा देने हेतु दिनांक 01.03.2019 को सेबी (कस्टोडियन) विनियम, 1996 में संशोधन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय ऋण बाजारों में दीर्घावधि निवेश शुरू करने हेतु विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार के परामर्श से दिनांक 01 मार्च, 2019 के एपीडीआईआर श्रृंखला परिपत्र के द्वारा *"वोलन्टरी रिटेन्शन रूट"* (*वीआरआर*) नामक एक पृथक स्कीम शुरू की है।

(ग) वित्त मंत्री जी ने एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से *दो ऋण श्रृंखलाओं* (*एलओसी*)के विस्तार हेतु अनुमोदन दे दिया है, (i) परियोजनाओं के विकास हेतु मालदीप सरकार को 800 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि (ii) आपदा निवारण स्थल (डीआरएस) के निर्माण हेतु स्वाजीलैण्ड सरकार को 10.40 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि तक की ऋण श्रृंखला।

(घ) माह के दौरान निम्नांकित ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए गएः-

(i) दिनांक 08 मार्च, 2019 को भारत और विश्व बैंक के बीच 137 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि के लिए "अतिरिक्त वित्तपोषण हेतु बांध पुनरूद्धार और सुधार परियोजना" पर हस्ताक्षर किये गये।

(ii) दिनांक 05 मार्च, 2019 को विश्व बैंक के साथ 25.2 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन और उत्तदायित्व कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये गये ।

(iii) दिनांक 05.03.2019 को 96 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए उत्तराखण्ड आपदा राहत परियोजना पर हस्ताक्षर किये गये।

(iv) दिनांक 01.03.2019 को 150 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए सौर विद्युत और हाइब्रिड प्रौद्योगिकी परियोजना में अभिनवता संबंधी करार पर वार्ता की गई।

(v) दिनांक 06.03.2019 को 328 मिलियन अमरीकी डॉलर के लिए आंध्र प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना पर वार्ता की गई।

(vi) दिनांक 25.03.2019 को 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि के लिए प. बंगाल सरकार को नम्य केरल विकास कार्यक्रम सौंपा गया। मार्च 2019 माह में एशियाई विकास बैंक के ऋणकरारों पर हस्ताक्षर किए गएः दिनांक 01.03.2019 को 926 मिलियन अमरीकी डॉलर की मुम्बई मेट्रो रेल प्रणाली पर हस्ताक्षर किए गए।

(vii) दिनांक 08.03.2019 को 26 मिलियन अमरीकी डॉलर के असम शहरी अवसंरचना निवेश कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।

2.2 मार्च, 2019 माह के दौरान निम्नांकित मुख्य बैठकें हुईः-

(क) सचिव (आर्थिक कार्य) ने दिनांक 20 मार्च को यूरोपीय संघ के साथ अनेक द्विपक्षीय बैठकें करने और दिनांक 21 मार्च, 2019 को यूरोपीय संघ द्वारा *"स्केलिंग अप सस्टेनेबल फाइनेन्सः दूर्वाईस ए ग्लोबल अप्रोच" विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय सम्मेलन* में भाग लेने हेतु ब्रसेल्स में आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यूरोपीय संघ ने ऐसी परियोजनाएं, जो कि 'स्थायी परियोजनाओं' की परिधि में नहीं आती, का यूरोपीय सत्ताओं द्वारा वित्तपोष करने पर कुछ दंड/बंदिशें लगाकर यूरोपीय संसद में विनियम प्रस्तावित किए हैं। इनकी 2020 से प्रभाव में आने की उम्मीद है। हम यूरोपीय संघ के साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि इससे भारतीय परियोजनाओं में यूरोपीय वित्त का प्रवाह प्रभावित हो सकता है।

(ख) सचिव (आर्थिक कार्य) ने गवर्नर (आरबीआई) की अध्यक्षता में दिनांक 14/3/2019 को आरबीआई, मुम्बई में आयोजित *वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद-उप समिति (एफएसडीसी-एससी) की बैठक* में भाग लिया।

(ग) सचिव (आर्थिक कार्य) ने दिनांक 27/03/2019 को वित्तीय क्षेत्र (सीईआरटी-वित्त) में *कंप्यूटर इमरजेन्सी रिस्पांस टीम(सीईआरटी-एफआईएन)* की स्थापना विषय पर एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सचिव (एमईआईटीआई), डीजी (सीईआरटी-इन) और वित्तीय विनियामकों ने भाग

लिया। इस बैठक में, एक प्रभावी सीईआरटी-इन की स्थापना से संबंधित विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया।

(घ) दिनांक 07 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय और एएफडी, फ्रांस के बीच डीईए-एएफडी *वार्षिक परामर्श बैठक* 2019 आयोजित की गई। इसमें भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉ.सी.एस.मोहापात्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और एएफडी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मि.रेमी जेनेवी, निदेशक एशिया विभाग (पेरिस), एएफडी ने अध्यक्षता किया।

(ङ) श्री के.राजारामन, अपर सचिव (निवेश) ने दिनांक 31.3.2019 को केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में 18 वीं बोर्ड बैठक, 5 वीं बजट और एचआर समिति एवं *न्यू डेवलपमैन्ट बैंक* की 10 वीं लेखा परीक्षा और जोखिम समिति की बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों के बाद दिनांक 01 और 02 अप्रैल को एनडीबी की वार्षिक बैठकें हुईं, जिसमें सचिव (आर्थिक कार्य) ने भारत के वैकल्पिक गवर्नर के तौर पर भाग लिया।

3. **न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन**

विशेषकर, सूचना के प्रस्तुतीकरण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. **एसीसी के निदेशों/आदेशों का पालन न किया जाना**

शून्य।

5. **माह के दौरान स्वीकृत किए गए एफडीआई प्रस्ताव और विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति**

स्वीकृत किए गए: 00

विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित: 12

****